रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4087] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941
No. 4087] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4569 (अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1796(अ), तारीख 18 मई, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 और इसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
"1	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक, जम्मू और श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।"

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I(खंड.IV)]
के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1796(अ), तारीख 18 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3119(अ), तारीख 28 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 December, 2019

S.O. 4569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 1796(E), dated, the 18th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
"1	Courts of Additional Sessions Judges Anti-corruption, Jammu and Srinagar	Union territory of Jammu and Kashmir".

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1796(E), dated, the 18th May, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3119(E), dated the 28th August, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली,19 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4570(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों की सहमति से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 435 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन से, अर्थात् :-

सारणी 1

क्र.सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-IV का न्यायालय, देहरादून	उत्तराखंड राज्य
2	प्रधान सत्र न्यायाधीश, लेह	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 435 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में यथा-उल्लिखित अन्य अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन से, अर्थात् :-

सारणी 2

क्र.सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II का न्यायालय, देहरादून	उत्तराखंड राज्य
2	उप-न्यायाधीश/विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, जम्मू और श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
3	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लेह	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I(खंड.IV)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 December, 2019

S.O. 4570(E).—In exercise of the powers conferred by section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justices of the High Court of Uttarakhand, Nainital and High Court of Jammu and Kashmir, hereby designates the following Courts mentioned in column (2) of the Tables below as Special Courts, namely:-

(a) for the purpose of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more as per clause (a) of sub-section (2) of section 435 of the said Act, namely:-

Table 1

Sl. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of IV Additional District and Session Judge, Dehradun	State of Uttarakhand
2	Principal Sessions Judge, Leh	Union territory of Ladakh

(b) for the purpose of providing speedy trial of other offences as mentioned in clause (b) of sub-section (2) of section 435 of the said Act, namely:-

Table 2

Sl. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of II Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun	State of Uttarakhand
2	Sub-Judge/Special Mobile Magistrates, Jammu and Srinagar	Union territory of Jammu and Kashmir
3	Chief Judicial Magistrate, Leh	Union territory of Ladakh

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.20 22:31:59 +05'30'